प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाऐं प्रदान करने के लिए विधिक सेवाऐं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकरता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाऐं छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्ही मे से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाऐं आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकायें छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांकः1.1.2012

(दीपक गुप्ता)
सदस्य सचिव

प्रांरभिक

हमारा संविधान सभी नागरिकों को समान न्याय सुनिश्चित करवाता है। परन्तु अधिकारों के ज्ञान का अभाव होने के कारण, व आर्थिक साधनों के अभाव के कारण, समाज का एक बड़ा वर्ग समान न्याय प्राप्त करने में असर्मथ रहता है, विषेशतौर पर पिछड़ा वर्ग, यानि आर्थिक तौर पर पिछड़ा वर्ग, और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग, जैसे की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति और महिलायें व बच्चे व विकलाँग व्यक्ति वगैरा। इस वर्ग को समान न्याय दिलवाने के उद्देश्य से **''विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम''** बनाया गया है।

कानूनी सेवा संस्थाऐं

इस अधिनियम के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कानूनी सेवा संस्थाऐं बनाई गई है।

1. राष्ट्रीय स्तर पर – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण।
2. राज्य स्तर पर – राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
3. जिला स्तर पर – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
4. उप मण्डल/तल स्तर पर – उप मण्डल विधिक सेवा समिति।
5. उच्चतम न्यायालय स्तर पर – सर्वोच न्यायालय विधिक सेवा समिति।
6. उच्च न्यायालय स्तर पर – उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। इसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं।

(क) मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) - भारत का मुख्य न्यायमूर्ति,

(ख) कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) - भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश,

उपरोक्त के ईलावा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिक से अधिक 12 सदस्य होते है जो निम्नलिखित हैं :-

(i) सचिव, कानूनी मामलों के विभाग, कानून मंत्रालय, न्याय और कम्पनी मामलों, भारत सरकार या उसका कोई भी नामित व्यक्ति;

(ii) सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार या उसका कोई भी नामित व्यक्ति; और

(iii) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दो अध्यक्ष जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से भारत सरकार द्वारा नामित किया जा सकता है।

(iv) केन्द्रीय सरकार अन्य सदस्यों को मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नामित करती है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य -

केन्द्रीय प्राधिकरण के निम्नलिखित कृत्य हैंः-

(क) इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धान्त अधिकथित करना,

(ख) इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अत्याधिक प्रभावी और कम खर्चीली स्कीमें तैयार करना,

(ग) उसके व्ययनाधीन निधि का उपयोग करना और राज्य प्राधिकरण तथा जिला प्राधिकरण को निधि का आबंटन करना,

(घ) उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष महत्व वाले किसी अन्य विषय के संबंध में सामाजिक न्याय संबंधी मुकदमें के रूप में आवश्यक कदम उठाना, और इस के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधि कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करना,

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों, गंदी बस्तियों या श्रमिक कालोनियों में समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों तथा साथ ही लोक अदालतों के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षित प्रयोजन करने के दोहरे प्रयोजन से विधिक सहायता कैम्प आयोजित करना,

(च) बातचीत, मध्यस्थता और सुलह के द्वारा विवादों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना,

(छ) विधिक सेवाओं के क्षेत्र में निर्धनों के बीच ऐसी सेवाओं की आवश्यकता के विशेष संदर्भ में, अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना,

(ज) संविधान के भाग 4(क) के अधीन नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति वचनबद्धता सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक बातें करना,

(झ) कालिक अंतराल पर विधिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन को निगरानी करना और उसका मूल्यांकन करना और इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित निधि से पूर्णतः या भागतः क्रियान्वित कार्यक्रमों और स्कीमों के स्वतंत्र मूल्याकन की व्यवस्था करना,

(ञ) इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवा संबंधी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उसके व्ययनाधीन रखी गई रकमों में से विभिन्न स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं और राज्य तथा

जिला प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिए सहायता अनुदान देना,

(ट) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के परामर्श से वैज्ञानिक विधिक शिक्षा कार्यक्रमों का विकास करना और मार्गदर्शन का संवर्धन करना तथा विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में विधिक सेवा कलीनिकों की स्थापना और उनके कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना,

(ठ) लोगों के बीच विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता के प्रसार, और विशिष्टतः समाज के कमजोर वर्गों को, सामाजिक कल्याण विधानों और अन्य अधिनियमों द्वारा गारन्टी किए गए अधिकारों, फायदों और विशेषधिकारों के बारे में साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यक्रमों और उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए उपयुक्त उपाय करना,

(ड) मूलभूत स्तर पर, विशिष्टतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और ग्रामीण तथा शहरी श्रमिकों के बीच कार्यरत स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करना, और

(ढ) राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायलय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, तालुक विधिक सेवा समितियों और स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं और अन्य विधिक सेवा संगठनों के सम्भावित कार्यक्रमों की निगरानी करना और विधिक सेवा कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए साधारण निर्देश देना।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। हरियाणा राज्य में इसके निम्नलिखित सदस्य हैं।

(i) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief);

(ii) कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) – उच्च न्यायालय का न्यायाधीश;

(iii) न्याय प्रशासन विभाग का सचिव;

(iv) वित्त विभाग का सचिव;

(v) विधि तथा विधायी विभाग का सचिव;

(vi) हरियाणा राज्य का महाधिवक्ता;

(vii) हरियाणा राज्य की पुलिस का महानिदेशक;

(viii) हरियाणा तथा पंजाब की बार कौंसिल का अध्यक्ष;

(ix) निदेशक लोक सम्पर्क विभाग,हरियाणा;

(x) जिला प्राधिकरण के दो अध्यक्ष,जो पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाए;

(xi) राज्य प्राधिकरण का सदस्य सचिव।

(2) राज्य प्राधिकरण के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मनोनीत किए गए निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(i) महिलाओं का एक प्रतिनिधि;

(ii) अनुसूचित जातियों का एक प्रतिनिधि;

(iii) संकायाध्यक्ष/अध्यक्ष, विधि विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय/कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य –

(1) राज्य प्राधिकरण का यह कृत्य होगा कि वह केन्द्रीय सरकार की नीति और निर्देशों को कार्यान्वित करें।

(2) राज्य प्राधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी कृत्य का पालन करेगा, अर्थात :–

(क) ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देना जो इस अधिनियम के अधीन अधिकथित मानदंडों की पूर्ति करते हैं,

(ख) लोक अदालतों, का जिनके अन्तर्गत न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदालतें भी हैं, संचालन करना,

(ग) निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना, और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य प्राधिकरण केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श विनियमों द्वारा, नियत करें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

हरियाणा राज्य मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य होते है।

(i) अध्यक्ष के रूप में जिला तथा सत्र न्यायाधीश;

"परन्तु जहां जिले के मुख्यालयों की सीट पर जिला तथा सत्र न्यायाधीश तैनात नहीं हैं, (सत्र मण्डल से भिन्न के रूप में हैं), ऐसी सम्भाव्यता में वहां तैनात वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा।"

(ii) जिला मजिस्ट्रेट;

(iii) पुलिस अधीक्षक;

(iv) जिला न्यायावादी;

(v) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिव-सदस्य होगा।

उपरोक्त के ईलावा हरियाणा राज्य जिला प्राधिकरण के निम्नलिखित नामित सदस्य होते है।

(क) एक सामाजिक कार्यकर्ता; और

(ख) महिलाओं का एक प्रतिनिधि।

<u>जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य -</u>

प्रत्येक जिला प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह जिले में राज्य प्राधिकरण के ऐसे कृत्यों का पालन करें जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जाएं।

जिला प्राधिकरण उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी कृत्य का पालन कर सकेगा, अर्थात :-

(क) तालुक विधिक सेवा समितियों और जिले में अन्य विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों का समन्वयन करना,

(ख) जिला के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना, और

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो राज्य प्राधिकरण, विनियमों द्वारा नियत करें।

उपमण्डल विधिक सेवा समिति

उपमण्डल विधिक सेवा समिति के निम्नलिखित सदस्य होते है।

(i) अध्यक्ष के रूप में उपमण्डल का वरिष्ठतम उप-न्यायाधीश;

(ii) उपमण्डल अधिकारी;

(iii) उपमण्डल पुलिस अधिकारी;

(iv) उपमण्डल सदस्य सचिव के रूप में उपमण्डल का प्रथम श्रेणी का उप-न्यायाधीश।

उपरोक्त के ईलावा हरियाणा राज्य में उप-मण्डल के निम्नलिखित नामित, सदस्य होते है।

(क) एक समाज सेवक ; और

(ख) महिलाओं का एक प्रतिनिधि।

उपमण्डल समिति के कार्य –

उपमण्डल तालुक विधिक सेवा समिति निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करती है, अर्थात :–

(क) तालुक विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों का समन्वय करना,

(ख) तालुक के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना, और

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो जिला प्राधिकरण उसे समनुर्दिष्ट करें।

उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति

उच्चतम न्यायालय विधिक सेवाऐं समिति के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक नौ होगी।

इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होते हैं।

(i) उच्चतम न्यायालय का एक आसीन न्यायाधीश जो अध्यक्ष होगा, और

(ii) भारत का महान्यायवादी;

(iii) अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार कानून व कम्पनी मन्त्रालय या उसका प्रतिनिधि;

(iv) अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार वित्त व व्यय मन्त्रालय या उसका प्रतिनिधि;

(v) उच्चतम न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल;

अन्य सदस्यो को भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति नियम, 2000 के उप नियम (4) के अर्न्तगत नियमों में वर्णित योग्यता व अनुभव रखने वालो को सदस्य मनोनीत कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय विधिक सेवाऐं समिति के कार्य –

यह समिति वह सभी कार्य करती है जो केन्द्रीय प्राधिकरण के विनियम निधार्रित करते है।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के निम्नलिखित सदस्य हैंः–

(1) उच्च न्यायालय का एक आसीन न्यायाधीश जो अध्यक्ष होगा,

(2) महाधिवक्ता, पंजाब,

(3) महाधिवक्ता, हरियाणा,

(4) बार कौंसिल पंजाब और हरियाणा राज्य का अध्यक्ष,

(5) उच्च न्यायालय बार एशोसिएसन, चन्डीगढ़ का अध्यक्ष,

(6) गृह सचिव, चन्डीगढ़ प्रशासन।

मुख्य न्यायाधीश अन्य सदस्यों को जो पांच से अधिक न हो, विधिक योग्यताएं तथा अनुभव के आधार पर मनोनीत कर सकता है।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्य –

यह समिति वह सभी कार्य करती है जो राज्य प्राधिकरण के विनियम निधार्रित करते है।

विधिक सेवाएँ

विधिक सेवाओं के लिए हक

विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम के तहत मुफ्त कानूनी सेवाओं को न्याय प्रणाली में शामिल किया गया है। मुफ्त कानूनी सहायता के बिना समान न्याय का सिद्धान्त अवास्तविक है। आर्थिक साधनों के अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रह जाऐ इसलिए निम्नलिखित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

- अनुसूचित जातियाँ, जन जातियाँ और पिछड़े वर्गों के सदस्य
- मानव दुर्व्यापार के शिकार लोग,
- बेगार के शिकार व्यक्ति,
- महिलाऐं एवं बच्चे,
- मानसिक रोगी एवं विकलांग,
- सामूहिक विनाश से प्रभावित व्यक्ति जैसा कि जातीय हिंसा, बाढ़, भूकम्प औद्योगिक श्रमिक,
- कारागार व किशोर सुधार गृहों में बन्द व्यक्ति,
- दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति,
- भूतपूर्व सैनिक तथा ऐसे व्यक्तियों के परिवारों जो युद्ध में मारे गये हों,

- दंगा पीड़ित तथा आंतकवाद पीड़ित,
- स्वन्तत्रता सैनानी,
- वह सब व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,50,000/- रूपये से कम है। इन सब व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाती है और अब 19.10.2010 से हिजड़ा समुदाय के लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को भी मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी शुरू हो गयी है।

विधिक सहायता के लिये प्रक्रिया

कोई भी व्यक्ति जो कि निःशुल्क सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो, एक सादे कागज पर प्रार्थना पत्र दे सकता है। यदि मुकदमाः-

उच्च न्यायालय स्तर पर है तो प्रार्थना पत्र सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़ को देना है।

जिला स्तर पर है तो जिला स्तर पर-जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष या मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

उपमण्डल स्तर पर है तो अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी)/वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, एवं अध्यक्ष उप-मण्डल विधिक सेवा समिति।

इस प्रार्थना पत्र में, वह अपने साथ हुए अन्याय का संक्षिप्त विवरण या मुकदमें का संक्षिप्त विवरण, नाम, आय की सीमा इत्यादि का हवाला लिखे, व इसके साथ अपनी वार्षिक आय के बारे में शपथ-पत्र संलग्न करें। अगर व्यक्ति पिछड़ी जाति या जनजाति या अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता हो तो उसका प्रमाण पत्र साथ

लगाये। अगर व्यक्ति निःशुल्क सहायता का पात्र पाया गया तो उसे निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। मुकद्दमें की पैरवी के लिए वकील उपलब्ध कराया जाता है और वकील की फीस, गवाहों का खर्चा, कागजात का खर्चा सभी दिया जाता है।

कानूनी सहायता केन्द्र

कानूनी सहायता केन्द्र कानूनी सेवाओं के क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का कार्य करते हैं। अधिवक्ता जिन्हें मध्यस्ता एवं सुलह की निपुणता है उन्हें इन केन्द्रों में सेवा के लिए चुना जाता है। इन सहायता केन्द्रों में ये पैनल अधिवक्ता उन पक्षों के झगड़े मध्यस्ता एवं सुलह से सुलझाने की कोशिश करते हैं जो भी पक्ष सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसे किसी कानूनी समस्या पर सलाह चाहिये वह इन सहायता केन्द्रों में उपस्थित पैनल अधिवक्ताओं से मिल सकता है। ये पैनल अधिवक्ता जरूरतमन्द व्यक्ति के आग्रह पर, सरकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थना पत्र तैयार करने में मद्द भी करते हैं।

हरियाणा राज्य के प्रत्येक न्यायिक परिसर में ऐसे कानूनी सहायता केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। ऐसे ही सहायता केन्द्र हरियाणा की प्रत्येक जेल व हरियाणा के प्रत्येक सुरक्षा अधिकारियों के कार्यलायों में भी स्थापित किये जा चुके हैं। अब हालसा ने ये सहायता केन्द्र प्रत्येक गांव में बनाने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। प्रारंभिक स्तर पर एक सहायता केन्द्र 20 गांव के समूह के लिए बनाया जायेगा। धीरे-धीरे इन केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जायेगी। हालसा का उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव में ऐसा सहायता केन्द्र स्थापित किया जाये।

लोक अदालत

विधिक सेवाएँ अधिनियम का दूसरा उद्देश्य है लोक अदालतो के अयोजन से सभी नागरिकों को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध करवाना। दोनो पक्षों में से कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से सुलह के लिए अपना प्रार्थना पत्र, सम्बन्धित अदालत को या कानूनी सेवा संस्था को दे सकता है।

लोक अदालतों को कौन आयोजित करता है ?

कोई भी उपरोक्त कानूनी सेवा प्राधिकरण अथवा समिति, ऐसे अंतरालों और ऐसे स्थानों पर और ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए जो वह ठीक समझें, लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है।

लोक अदालत का संविधान क्या है ?

किसी क्षेत्र के लिए आयोजित लोक अदालत, उतने –

(क) सेवारत या सेवानिवृत न्यायिक अधिकारियों, और

(ख) अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जितने ऐसी लोक अदालत का आयोजन करने वाली कानूनी सेवा संस्था निर्देश करेगी।

लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र –

लोक अदालत, को (1) किसी भी न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी मामले की बाबत, व (2) न्यायालय के अधिकारिता में आने

वाले, किसी ऐसे विषय के बाबत जो उसके समक्ष नहीं लाया गया है अर्थात पूर्व–मुकदमेबाजी मामले (Pre-Litigative Cases) का निपटान करने और उसके पक्षकारों के बीच समझौता या समाधान कराने की अधिकारिता है।

परन्तु लोक अदालत को किसी ऐसे अपराध से सम्बन्धित किसी मामले या विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी, जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं है।

लोक अदालतों द्वारा केसों का निपटारा –

प्रत्येक लोक अदालत इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष मामलों का निपटान करते समय पक्षकारों के बीच समझौता कराने या समाधान करने के लिए अत्यधिक शीघ्रता से कार्य करेगी और न्याय, इक्विटी, ईमान और अन्य विधिक सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी।

जहां पक्षकारों के बीच कोई समझौता या समाधान नहीं हो पाता है, वहां उस मामले को लोक अदालत उस न्यायालय को, जिससे वह मामला प्राप्त हुआ था, विधि के अनुसार निपटाने के लिए लौटा देती है।

पूर्व–मुकदमेबाजी मामले (Pre-Litigative Cases) में जहां लोक अदालत द्वारा पक्षकारों के बीच कोई समझौता या समाधान नहीं करा पाती, वहां वह लोक अदालत पक्षकारों को किसी न्यायालय से उपचार प्राप्त करने की सलाह देती है।

लोक अदालत का अधिनिर्णय –

लोक अदालत का अधिनिर्णय (Award), सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जाता है।

जहाँ न्यायालय में विचाराधीन मामलों में लोक अदालत द्वारा समझौता कराया जाता है, वहां ऐसे मामले में न्यायालय फीस, लौटा दी जाती है।

लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय (Award) अन्तिम और बाध्यकारी होता है तथा अधिनिर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी।

लोक अदालत के फायदे –

1) समय की बचत – कई सालों से चल रहे मुकदमें का तुरन्त व शांतिपूर्ण निर्णय किया जाता है।

2) खर्चे की बचत – इसमें कोर्ट फीस की आवश्यकता नहीं है/वकील की जरूरत नहीं है।

3) तनाव से छुटकारा। सुलह द्वारा प्राप्त निर्णय से द्वेष भावना मिटती है और प्रतिपक्षी के साथ दोस्ती व भाईचारे का सम्बन्ध बनता है।

4) लोक अदालत द्वारा लिया गया निर्णय आम अदालत के समान ही बाध्य है।

इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। इसलिए अपीलों व उन पर होने वाले खर्चे से भी छुटकारा पाया जा सकता है।

स्थाई लोक अदालत (जन उपयोगी सेवा) की स्थापना

यह अच्छी तरह से जाना जाता है कि सरकार व सरकारी निगम और प्राधिकरण हमारे देश के सबसे बड़े मुकदमेबाज है। जन उपयोगी सेवायें जैसे कि धारा 20(A)(b) में परिभाषित की गई है, ऐसी मुकदमेबाजी का सबसे बड़ा अंश है। ये स्थाई लोक अदालतें इसलिए स्थापित की गई हैं कि ऐसे विवाद जो एक जन और जन उपयोगी सेवाओं के बीच शुरू होते हैं, उनका निपटारा अदालत जाने से पहले किया जा सके। जैसा कि नाम से स्पष्ट हैं स्थाई लोक अदालत स्थाई रूप से उपलब्ध रहती है, ताकि कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने झगड़े के निपटारे के लिए इन अदालतों के समक्ष जा सकता है। इन लोक अदालतों की कार्यवाही के दौरान अगर पक्ष अपने विवाद का निपटारा समझौता व सुलह आधार पर करने के लिए तैयार हो तब लोक अदालत कर्मबद्ध पहले मध्यस्था की तकनीक फिर सुलह और अन्त में पंच निर्णायक की पालना करती है।

अधिनियिम 1987 में दिनांक 11.6.2002 को संशोधन किया गया जिस द्वारा स्थाई लोक अदालत (जन उपयोगी सेवा) का प्रावधान किया गया। ये स्थाई लोक अदालत (जन उपयोगी सेवा) निम्नलिखित मामलों का निपटारा कर सकती है।

इन लोक अदालतों में परिवहन/टैलीफोन/पोस्टल/टैलिग्राफ/विद्युत व जल आपूर्ति सेवा/जल स्वच्छता/चिकित्सालय/इंशोरेंस/आवास तथा सम्पदा जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित विवादो का, बिना किसी खर्च के, शीघ्र निपटारा किया जाता है।

वह व्यक्ति जो एक जिला न्यायाधीश या सह जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या एक जिला न्यायाधीश से उपर के पद वाले न्यायिक अदालत में रह चुका हो, वह स्थाई लोक अदालत का अध्यक्ष होगा।

स्थाई लोक अदालत (जन उपयोगी सेवा) की अधिकारिता –

स्थाई लोक अदालत (जन उपयोगी सेवा) की उस मामले में अधिकारिता नहीं होगी जो किसी भी कानून के तहत अपराध से जुडा हो।

स्थाई लोक अदालत (जन उपयोगी सेवा) की उस मामले में अधिकारिता नहीं होगी जहां विवाद वाली सम्पति की कीमत दस लाख रूपये से अधिक हो।

केन्द्रीय सरकार अधिसूचना के द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श से उपरोक्त दर्शाई गई दस लाख रूपये की सीमा को बढ़ा सकती है।

स्थाई लोक अदालत (जन उपयोगी सेवा) द्वारा केसो का निपटारा –

दोनों पक्षों द्वारा लिखित कथन, जिसमें विवाद के तथ्य और विवाद की प्रकृति बताई हो और विवाद के मुद्दे बताये हों न्यायालय में दायर करेंगे और तब स्थाई लोक अदालत दोनो पक्षों का राजीनामा कराने में मद्द करेगी। दोनों पक्ष का कर्तव्य है कि वे कार्यवाही के दौरान स्थाई लोक अदालत को सहयोग दें। अगर पक्षों में राजीनाम हो जाता है तो तद्नुसार लोक अदालत अपना अधीनिर्णय (Award) देती है। परन्तु अगर समझौता नहीं होता तब यह लोक अदालत अपना निर्णय मामले की योग्यता के आधार पर देगी।

इस अधिनियम के तहत विवाद पर सुलह कार्यवाही या फैसला देते समय स्थाई लोक अदालत प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त,

निष्पक्षता, ईमानदारी, इक्विटी और अन्य विधिक सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी और वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (5 of 2008) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1 of 1872) द्वारा बाध्य नहीं होगी।

स्थाई लोक अदालत (जन उपयोगी सेवा) का अधिनिर्णय (Award)

1. इस अधिनियम के तहत योग्यता के आधार पर, या समझौता के आधार पर स्थाई लोक अदालत का निर्णय (Award) अन्तिम होगा और उन सभी पक्षों और व्यक्तियों पर बाध्य होगा जो इस के अन्तर्गत दावा करते है।

2. इस अधिनियम के तहत स्थाई लोक अदालत का निर्णय (Award) सिविल न्यायालय की डिक्री माना जायेगा।

3. इस अधिनियम के तहत स्थाई लोक अदालत का निर्णय (Award) अधिकतम व्यक्तियों द्वारा गठित स्थाई लोक अदालत का होगा।

4. इस अधिनियम के तहत स्थाई लोक अदालत का निर्णय (Award) मूल केस, आवेदन या निष्पादित कार्यवाही में लागू नहीं होगा।

5. स्थाई लोक अदालत अपने द्वारा लिये गये किसी भी निर्णय को स्थानीय अधिकार क्षेत्र के सिविल न्यायालय में प्रेषित कर सकती है और वह सिविल न्यायालय उस आदेश को एक डिक्री की भान्ति निष्पादित करेगी।

समझौता सदन या निरंतर लोक अदालतें

निरंतर और स्थाई लोक अदालत (समझौता सदन) को स्थापित करने के पीछे क्या उद्देश्य था, यह समझने के लिए हम महामहिम ए.एस.आनन्द, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, के निम्नलिखित शब्दों का उल्लेख कर सकते हैं –

> "इस मोड़ पर मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि अब लोक अदालतें आंतरायिक और सामयिक नहीं रहनी चाहिए और केवल वाहन दुर्घटना के मामलों से ही संबंधित नहीं रहना चाहिए। अब यह समय आ गया है कि हम निरन्तर व स्थाई लोक अदालतों को सभी जिलों में स्थापित करने के लिए एक प्रारूप तैयार करें। तभी जिलों की नियमित अदालतें, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 20 के तहत इन निरन्तर व स्थाई लोक अदालतों में मुकदमे भेजने की स्थिति में होंगी। आप इस बात से सहमत होंगे कि वैवाहिक झगड़ों, मालिक और किराएदार विवाद, व्यवसायिक झगड़े इत्यादि से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए वादी को प्रेरित करने के लिए एक बार की बैठक ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे केसों में लोक अदालतों से संबंधित न्यायाधीश स्थाई लोक अदालतों के माध्यम से आवर्ती बैठकों और सुनवाइयों के साथ पक्षों के विवादों का निपटारा कर सकते हैं और यह अदालतें इस अधिनियम

की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।"

उपरोक्त लोक अदालतें समाज के सभी वर्गों के झगड़ों को निपटाने के लिए उपलब्ध हैं। ये सभी लोक अदालतें सभी तरह के दिवानी और संघीय अपराधिक मामलों को सुलझाने के लिए हैं। इसलिए नियमित अदालतों में लम्बित सभी मामलों को मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए समझौता सदनों में भेजा जा सकता है। लम्बित मामलों के ईलावा इन लोक अदालतों को पूर्व-मुकदमेबाजी वाले मामलों को सुलझाने का क्षेत्रीय अधिकार है।

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिला एवं उप-मण्डल स्तर पर स्थाई लोक अदालत (समझौात सदन) का गठन किया हुआ है। जिनका अधिकार क्षेत्र निर्धारित लोक अदालत की तरह निम्नलिखित हैं :-

(1) किसी भी न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी मामले की बाबत, व

(2) न्यायालय के अधिकारिता में आने वाले, किसी ऐसे विषय के बाबत जो उसके समक्ष नहीं लाया गया है अर्थात पूर्व-मुकदमेबाजी मामले (Pre-Litigative Cases)

मोबाईल/ग्रामीण लोक अदालतें

उपरोक्त लोक अदालतें नालसा की नई रणनीति के तहत साथ-साथ उन गरीब और समाज के दूर-दराज और सीमान्त वर्गों के लोगों के लिए काम करती हैं जो किसी मामले में जरूरत पड़ने पर विधिक सेवा प्राधिकरण को सम्पर्क नहीं कर सकते। योजना यह

है कि यदि वे विधिक सेवा प्राधिरण को सम्पर्क नहीं कर सकते तो प्राधिकरण उनके घर पर ही यह सहायता उपलब्ध करवायेगी।

न्याय सभी के लिए के अन्तर्गत सस्ता व सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक रविवार को हरियाणा प्रान्त में ग्रामीण लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। जिसमें आस-पास के गांव के दिवानी, फौजदारी (राजीनामा योग्य) और राजस्व से सम्बन्धित मुकदमों का फैसला आपसी समझौते द्वारा करवाया जाता है। ग्रामीण लोक अदालत में समझौते के लिऐ वादी/उतरवादी सम्बन्धित न्यायालय को प्रार्थना पत्र दे सकता है।

कानूनी साक्षरता अभियान

यह पूर्णतयाः सच है कि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अनपढ़ है और यह उनके शोषण व तकलीफों का अधिकतर कारण है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अज्ञानता का अंधकार दूर किया जाये। इस दिशा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 6 मार्च, 2005 को जो कानूनी साक्षरता अभियान शुरू किया गया, वह एक महत्वपूर्ण कदम है।

अतीत के कुछ प्रमुख सुधारवादियों से कानूनी जागरूकता अभियान को बल व प्ररेणा मिलती है। जैसे श्री राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए अपने अथक प्रयासों से महिलाओं के सशक्तिकरण को प्ररेणा दी; श्री अरविन्दों; जिन्होंने कानूनी अधिकारों के लिए देश में सामूहिक चेतना को जगाया; श्रीमति एनी बेसेंट जिनका मानना था कि महिलाओं, बच्चों और औद्योगिक कर्मकारों को न्याय से वंचित रखकर भारत के भविष्य और लोगों की खुशियां को कभी भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता; और श्री ईश्वर चन्द विद्यासागर जिन्होंने अपना सारा जीवन हिन्दु विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए समर्पित कर दिया और अंग्रेजों को हिन्दु विधवा पूर्न विवाह के लिए विधेयक पारित करने का अग्रह किया।

माननीय न्यायामूर्ति श्री पी.एन.भगवती जो भारत में कानूनी सशक्तिकरण के वास्तुकारों में से एक हैं, ने कहा था कि यह सर्वविदित है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70 % जनता अनपढ़ हैं और कानून द्वारा प्रदत्त उनके अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। कानूनी जागरूकता का अभाव ही उनके शोषण, छल व उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए जिम्मेवार हैं।

केवल अनपढ़ ही नहीं बल्कि जिनको पढ़ा-लिखा कहा जाता है उनमें से अधिकांश भी कानून का ज्ञान अनपढ़ों के बराबर रखते हैं।

माननीय न्यायामूर्ति श्री एच.एस.बेदी, उस वक्त के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और अब भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने कानूनी साक्षरता मिशन के आरम्भ के शुभ अवसर पर कहा था कि राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन के माध्यम से हम अपने समाज के सबसे उपेक्षित और कमजोर वर्गों तक पहुँचना चाहते है। इस वर्ग को ये ज्ञान जरूरी है कि कानून के समक्ष सब समान हैं और सब को कानून की समान सुरक्षा उपलब्ध है। अभियान की तीन मार्गीये अप्रोच है, (1) लोगों को कानूनी अधिकारों की जानकारी देना, (2) मौलिक कत्तव्यों का ज्ञान देना व (3) मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता और कानूनी सहायता के लाभ की जानकारी देना।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने कुछ श्रेणियों को चिन्हित किया है जिनको इस अभियान का तुरन्त लाभ पहुंचाना है। इस श्रेणी में सम्मिलित हैं बच्चे, अल्पसंख्यक समुदाय, आतंकवाद के शिकार व अपराध के शिकार, आपदा और बिमारी के शिकार, कैदी, विकलांग बच्चे, बन्धुआ मजदूर, भूमिहीन कृषक समुदाय, दलित और आदिवासी समुदाय, सूखा और बाढ़ की चपेट में आये किसान व समाज के गरीब लोग।

विधिक साक्षरता अभियान को सफल बनाने के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने निम्नलिखित योजनाऐं शुरू की हैं।

1. <u>गांव स्तर पर कानूनी साक्षरता शिविर</u>

इन शिविरों का आयोजन पैनल अधिवक्ताओं द्वारा किया जाता है। जो प्रत्येक रविवार और किसी दूसरे अवकाश के दिन गांव में जाते हैं और ग्रामीणों को कानूनी व सामाजिक

विषयों बारे सम्बोधित करते हैं। इन विषयों की सूची पैनल अधिवक्ताओं को दे रखी है।

2. विद्यालयों में कानूनी प्रकोष्ठ

कानूनी जागरूकता का सन्देश घर-घर पहुंचाने के लिए विद्यार्थी समुदाय सर्वोत्त्म माध्यम है। विद्यार्थी समुदाय में कानूनी साक्षरता ग्रहण करने के लिए और समाज को बदलने के लिए आवश्यक उत्साह और उत्सुकता मौजूद रहती है। विद्यार्थीयों को जो कानूनी शिक्षा दी जाती है, वह उसे अपने परिवार और पड़ोस तक पहुंचाने में मद्द करते हैं। इसलिए यह विद्यार्थी समुदाय कानूनी साक्षरता अभियान के महत्त्वपूर्ण चक्रयान साबित होते हैं। यही विद्यार्थी भविष्य के डाक्टर, इंजीनियर, वकील, राजनीतिक व वैज्ञानिक हैं। इन कारणों से विद्यार्थी समुदाय में कानूनी साक्षरता पैदा करना बहुत आवश्यक व महत्त्वपूर्ण है। इन उद्देश्य से हालसा ने साल 2007 में विद्यार्थी कानूनी साक्षरता अभियान शुरू किया था।

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और शिक्षा विभाग हरियाणा के आपसी तालमेल से हरियाणा राज्य के 1444 विद्यालयों और 171 महाविद्यालयों में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व उप-मण्डल विधिक सेवा समिति के पैनल से नियुक्त वकील इन प्रकोष्ठों में विधार्थीयों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने के लिए जाते है।

इस प्राधिकरण ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों/प्राधानाचार्यो को निर्देश जारी कर रखे हैं कि वे मासिक आधार पर नियमित रूप से माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में गठित कानूनी प्रकोष्ठों में संगोष्ठियों का आयोजन करवाएं और इन संगोष्ठियों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा मनोनीत वकीलों के भाषणों पर ही निर्भर न हों बल्कि

विधार्थी भी स्वतंत्र रूप से इन संगोष्ठियों में सम्मिलित हों और वे अपने विचारों को वाद-विवाद, कविता गायन, रागिनी या नाटक के माध्यम से व्यक्त कर सकें और इन अवसरों पर वे किसी भी विषय पर पेंटिग या स्लोगन भी प्रदर्शित कर सकते हैं और यह भी सुनिश्चित करवाएं कि अधिक से अधिक विधार्थी अपनी रूचि के साथ इन संगोष्ठियों में भाग लें।

माध्यमिक विद्यालयों के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी कर रखा है कि वे माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में अलग से एक कमरा कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ के लिए आरक्षित रखें ताकि इन प्रकोष्ठों में कानूनी विषयों पर होने वाली गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से हो सके और विधार्थी स्वतंत्र रूप से इन संगोष्ठियों में सम्मिलित हों।

3. बुनियादी स्तर पर कर्मचारीयों में कानूनी साक्षरता अभियान

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्तर पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी बहुत प्रभाव रखते हैं। इन कर्मचारियों का ग्रामीण जनता से परस्पर मेल-जोल रहता है। इसलिए यह अवश्यक समझा गया कि इस कर्मचारी समुदाय में कानूनी जागरूकता पैदा की जाये। कर्मचारियों के जागरूक होने पर ये आम जनता को भी जागरूक करने में बहुत मद्दगार साबित हो सकते हैं। इन्हीं कारणों से हालसा नियमित रूप से इन कर्मचारियों के लिए कानूनी जागरूकता शिविरों को आयोजित करता रहता है।

4. पराविधिक स्वंय-सेवक

''न्याय सबके लिए'' का उद्देश्य हासिल करने के लिए नालसा ने पराविधिक स्वंय-सेवक योजना का निर्माण किया

है। पराविधिक स्वंय-सेवक का काम लोगों को कानूनी मशवरा देना नहीं है बल्कि जिस व्यक्ति को कानूनी सेवाओं कि जरूरत हो उसे कानूनी सेवा प्राधिकरण से ऐसी सेवाऐं उपलब्ध करवाना है। पराविधिक स्वंय-सेवक कानूनी सेवा प्राधिकरण व आम जनता के बीच पुल का काम करेंगें। यह स्वंय-सेवक जरूरतमंद व्यक्ति की प्रार्थना पत्र लिखने में, फार्म भरने में, व अन्य उचित जानकारी उपलब्ध करवाने में मद्द करेंगे, जिससे वह व्यक्ति सरकारी विभागों से उचित जानकारी प्राप्त कर सके व उचित राहत प्राप्त कर सकें।

5. **<u>महिला कानूनी साक्षरता अभियान</u>**

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व उप-मण्डल विधिक सेवा समिति ने छोटे बड़े समूहों में महिलाओं को कानूनी अधिकारों बारे साक्षर करने के लिए महिला कानूनी साक्षरता अभियान शुरू किया हुआ है। जिसके लिए पैनल से नियुक्त वकील, खण्ड विकास एवं पचांयत अधिकारी, आंगनवाड़ी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी की मद्द से महिलाओं को कानूनी अधिकारों बारे जानकारी देते हैं।

6. **<u>सरल भाषा में कानूनी पुस्तिका</u>**

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रदेश की जनता को कानूनी अधिकारों व सामाजिक बुराईयों के बारे में साक्षर करने के लिए सरल भाषा में कानूनी पुस्तिकाओं का प्रकाशन करता है। जिनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व उप-मण्डल विधिक सेवा समिति के माध्यम से आम जनता, स्कूलों, कालेजों में मुफ्त बंटवाया जाता है और यह पुस्तिकायें इस हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से

प्रार्थना पत्र भेज कर भी प्राप्त की जा सकती है। ये पुस्तिकायें निम्नलिखित हैः-

1. बाल श्रम
2. बंधुआ मजदूरी
3. बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम
4. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम
5. संरक्षणता
6. दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
7. घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा
8. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
9. लोक हित में मुकद्दमे (P.I.L.)
10. महिलाओं का यौन उत्पीड़न
11. विशेष विवाह अधिनियम
12. एच.आई.वी./एड्स
13. मोटर दुर्घटना मुआवजा
14. दहेज और कानून
15. मुस्लिम विवाह तथा तलाक

16. पारिवारिक न्यायालय अथवा कुटुम्ब न्यायालय (फैमिली कोर्ट)

17. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति (अपराध निरोधक) अधिनियम, 1989

18. उपभोक्ता संरक्षण एवं कानून

19. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

20. ठेका मजदूरी

21. सूचना का अधिकार

22. प्रथम सूचना रिपोर्ट, हिरासत, रिमांड और जमानत से सम्बन्धित कानून

23. छुआछुत

24. सिर पर मैला ढोना

25. मौलिक अधिकार

26. कैदियों के अधिकार

27. भरण-पोषण

28. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

29. कारखाना अधिनियम

30. हालसा व कानूनी सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम

31. सांविधानिक मूल्य

7. चल-चित्र

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जानकारी देने के लिए लोक सम्पर्क विभाग के तालमेल से चल-चित्र द्वारा साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। जिसके लिए प्राधिकरण ने निम्नलिखित दस्तावेजी फिल्म बनवाई हुई हैः

1. सवेरा
2. बेटी
3. नशाखोरी से नशा मुक्ति की ओर।

कानूनी हेल्पलाईन सेवा

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्यालय एस.सी.ओ.न. 142-143, प्रथम तल, सैक्टर 34-A, चण्डीगढ़ में हेल्पलाईन सेवा शुरू की हुई है जिसकी शुरूआत 1 सितम्बर, 2009 को माननीय न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल, न्यायाधीश, पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने की थी। इस सेवा के शुरू हो जाने से हरियाणा राज्य का कोई भी नागरिक अपनी कानूनी समस्याओं से निपटने हेतू जानकारी हासिल कर सकता है। कानूनी सलाह/सहायता चाहने वाला व्यक्ति उपरोक्त सेवा केन्द्र में व्यक्तिगत तौर पर आकर या निम्नलिखित दूरभाष नम्बर पर अपनी समस्या के समाधान के लिए कानूनी सलाह ले सकता है। इस हेल्पलाईन पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त वकील उपलब्ध रहते हैं। जो लोगों को उनकी समस्याओं को निपटाने सम्बन्धित जानकारी हेल्पलाईन के माध्यम से देते है। इस सेवा की सुविधा हेल्पलाईन नम्बर 0172-2604055 पर सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस को उपलब्ध होती है। इस सुविधा की जानकारी वैब साइट www.hslsa.nic.in पर भी उपलब्ध है।

नोटः कानूनी हेल्पलाईन सेवा प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्रत्येक जिले के मुफ्त कानूनी सहायता के कार्यलय में प्रत्येक कार्य दिवस को उपलब्ध करवा दी गई है।

महिलाओं के लिए कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा), महिलाओं के लिए विशेष कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन, छोटे समूहों में, जैसे पड़ोसी समूह, या स्वयं सहायता समूह में करता रहता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के महिला अधिवक्ताओं के पैनल इन शिविरों को सम्बोंधित करते है और महिलाओं से सम्बन्धित अधिकारों की जानकारी देते हैं, जैसे सरकारी कार्यालायों, कारखानों व अन्य संस्थानों पर कार्य के दौरान सैक्सुअल हरासमेंट, बंधुआ मजदूरी अधिनियम, असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, धारा 125 के अन्तर्गत खर्चे का अधिकार, कन्या भ्रुणहत्या तथा एमटीपी ऐक्ट, खाद्य पदार्थों में मिलावट, एच.आई.वी.-एड्स, लोक अदालत एवं मुफ्त कानूनी सहायता, गार्डियन एवं वार्ड एक्ट, हिन्दू माइनॉरटी एवं गार्डियन एक्ट, श्रम कानून, फैक्टरी एवं औद्योगिक विवाद एक्ट हयूमन ट्रैफिकिंग क्राईम आदि।

इन शिविरों के बारे अधिक जानकारी के लिए नीचे दिये पतें पर सर्म्पक करें।

1. हाई कोर्ट/राज्य स्तर पर-कार्यकारी अध्यक्ष/सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.सी.ओ. 142-143, सैक्टर 34-ए, चण्डीगढ़।

2. जिला स्तर पर–जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष/मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

3. उप मण्डल स्तर पर–अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/विरिष्ठतम सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं अध्यक्ष, उप मण्डल विधिक सेवा समिति।

कानूनी सहायता केन्द्र

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) ने निम्नलिखित स्थानों पर कानूनी सहायता केन्द्र स्थापित किये हैं।

1. सभी जिला न्यायिक परिसरों में।

2. सभी सुरक्षा अधिकारी के कार्यलयों में (Protection Officer)

3. सभी केन्द्रीय/जिला/उप जेलों में।

उपरोक्त के इलावा हर ग्रांम पंचायत में भी बनाये जाने की योजना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/उप मण्डल विधिक सेवा समिति के पैनल से नियुक्त वकील इन केन्द्रों पर उपलब्ध रहते हैं। जिसकी सूचना इन केन्द्रों के सूचना पट्ट पर दिनांक और समय के साथ दर्शाई जाती है।

कोई भी पीड़ित महिला/व्यक्ति/बन्दी/विचाराधीन बन्दी जिसे भी कानूनी सहायता की आवश्यकता हो इन केन्द्रों पर नियुक्त किये गये वकीलों से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।

इन केन्द्रों के बारे अधिक जानकारी के लिए नीचे दिये पतें पर सर्म्पक करें।

1. हाई कोर्ट/राज्य स्तर पर–कार्यकारी अध्यक्ष/सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.सी.ओ. 142-143, सैक्टर 34–ए, चण्डीगढ़।

2. जिला स्तर पर–जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष/मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

3. उप मण्डल स्तर पर–अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/विरिष्ठतम सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं अध्यक्ष, उप मण्डल विधिक सेवा समिति।

4. कानूनी हैल्पलाईन सेवा सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.सी.ओ. 142-143, सैक्टर 34–ए, चण्डीगढ़, दूरभाष नम्बर 0172-2604055.

जन उपयोगी लोक अदालत

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) ने अपने चार डिविजनों में अम्बाला, गुडगांव हिसार और रोहतक में जन उपयोगी लोक अदालतें स्थापित कर रखी है और इन लोक अदालतों में परिवहन/टेलीफोन/पोस्टल/टैलिग्राफ/विद्युत व जल आपूर्ति सेवा/जल स्वच्छता/चिकित्सालय/इंशोरेंस/ आवास तथा सम्पदा और सम्बन्धित विवादो का, बिना किसी खर्च के, शीघ्र निपटारा किया जाता है।

SR. NO.	DISTRICT	CAMP COURT
1	अम्बाला	कैथल
2	भिवानी	जीन्द
3	फरीदाबाद	प्लवल
4	गुड़गांव	नूह (मेवात)
5	हिसार	
6	करनाल	कुरूक्षेत्र
7	पंचकूला	यमुना नगर
8	रिवाड़ी	नारनौल
9	रोहतक	झझर

10	सोनीपत	पानीपत
11	सिरसा	फतेहाबाद

इन स्थाई लोक अदालतों में, पच्चीस लाख रूपये तक के मूल्याकंन वाले विवादो का निपटारा किया जाता है तथा उक्त न्यायालय का आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में मान्य होता है और जिसकी कोई अपील नहीं होती है।

लोक अदालत में वर्षों तक मुकद्में के निर्णय का इन्तजार नहीं करना पड़ता है बल्कि शीघ्र शांतिपूर्ण समझौते के द्वारा दोनों पक्षों को मान्य निर्णय दिया जाता है। अगर समझौता नहीं हो पाता तो दोष गुण के आधार पर बहुत जल्द निर्णय लिया जाता है। फैसले के बाद अपील नहीं की जा सकती है।

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हरियाणा राज्य के विद्यालयों और महाविद्यालयों में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठों का गठन व सालाना कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ प्रतियोगिता।

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) और शिक्षा विभाग, हरियाणा के आपसी तालमेल से हरियाणा के 1444 माध्यमिक विद्यालयों एवं 171 महाविद्यालयों में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठों का गठन गतवर्ष 2009 में किया गया।

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए हैं कि वे मासिक आधार पर नियमित रूप से विद्यालयों और महाविद्यालयों में गठित कानूनी प्रकोष्ठों में संगोष्ठियों का आयोजन करें। सभी विद्यार्थी इन संगोष्ठियों में सम्मिलित हो सकते हैं और वे कानूनी और सामाजिक विषयों पर अपने विचारों को वाद–विवाद, कविता गायन, रागिनी या नाटक के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं अथवा पेंटिंग या स्लोगन से भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

इसके अलावा कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठों में विद्यालय और महाविद्यालय EDUSET/DVD/PROJECTOR (यदि उपलब्ध हो) के माध्यम से विद्यार्थियों को समय–समय पर कानूनी विषयों पर बनी DOCUMENTARY FILMS भी दिखाई जाती हैं। इस मायध्म से मनोरंजन के साथ–साथ कानूनी विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है।

वार्षिक प्रतियोगिताएं जिला स्तर पर, उपमण्डल स्तर पर और राज्य स्तर पर की जाती हैं। प्रथम राज्य स्तरीय वार्षिक प्रतियोगिता 6.2.2010 को जिला कुरूक्षेत्र में आयोजित की गई। अगली राज्य स्तरीय वार्षिक प्रतियोगिता फरवरी 2011 में आयोजित की जाएगी।

प्रतियोगिताओं में निम्न पुरस्कार वितरित किए जाते हैं–

महाविद्यालय प्रतियोगिता	विद्यालय प्रतियोगिता
उपमण्डल स्तर पर	**स्कूल स्तर पर**
प्रथम – रूपये 5000/–	प्रथम – रूपये 500/–
द्वितीय – रूपये 4000/–	द्वितीय – रूपये 300/–
तृतीय – रूपये 3000/–	तृतीय – रूपये 200/–
राज्य स्तर पर	**जिला स्तर पर**
प्रथम – रूपये 11000/–	प्रथम – रूपये 2100/–
द्वितीय – रूपये 8000/–	द्वितीय – रूपये 1500/–
तृतीय – रूपये 5000/–	तृतीय – रूपये 1100/–
	उपमण्डल स्तर पर
	प्रथम – रूपये 5100/–
	द्वितीय – रूपये 3100/–
	तृतीय – रूपये 2100/–
	राज्य स्तर पर
	प्रथम – रूपये 11000/–
	द्वितीय – रूपये 8000/–
	तृतीय – रूपये 7000/–

विद्यार्थी जागरूक होंगे तो समाज जागरूक होगा, जिससे देश जागरूक होगा और उन्नति करेगा। ***कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ का सदस्य बनने के लिए विद्यालय एवं महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक से सम्पर्क करें।***

बलात्कार व अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों के लिए कानूनी सहायता केन्द्र

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) ने बलात्कार और अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य के सभी जिलों में कानूनी सहायता केन्द्र स्थापित किये हैं। इस योजना के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल में से महिला वकीलों का एक मुख्य पैनल बनाया गया है। इस पैनल के वकील थाने में जाकर बलात्कार और अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को कानूनी सहायता प्रदान करती हैं। अदालत में मुकदमा सुनवाई के दौरान भी ऐसे अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को वकील की सेवाएं प्रदान की जाती है ताकि उसे मुकदमा सुनवाई के दौरान न्यायालय में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और वह न्याय से वंचित न रहें।

इन केन्द्रों के बारे अधिक जानकारी के लिए नीचे दिये पतें पर सर्म्पक करें:-

1. हाई कोर्ट/राज्य स्तर पर-कार्यकारी अध्यक्ष/सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.सी.ओ. 142-143, सैक्टर 34-ए, चण्डीगढ़।

2. जिला स्तर पर–जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष/मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

3. उप मण्डल स्तर पर–अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/विरिष्ठतम सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं अध्यक्ष, उप मण्डल विधिक सेवा समिति।

4. कानूनी हैल्पलाईन सेवा सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.सी.ओ. 142-143, सैक्टर 34–ए, चण्डीगढ़, दूरभाष नम्बर 0172-2604055.